


FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत _____ मुकाम _____
 _____ बनाम _____
 किसम मुकदमा _____ नं. _____ सन् _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/2/24	<p>पशवरी प० ए० हुकराई उरुपुर कोतिल्ला रिपोर्ट मय P/14 के उरुपुर की रिपोर्ट का मुकदमा शाह हुकराई के चरामाए स्वकरा नं. 323 हेतु पर कोतिल्ला ने पक्का जिकिर कर शूफ पर अनाधिकार काबजा किया हुआ) उरुपुर के कोतिल्ला मु० शाहसु के अधीन कोतिल्ला की धारा 91 के तहत पर्त शफिद कर कोतिल्ला को गौरे लारी है पतावली नं दि० 23/2/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> तहसिलदार बगु जिला-चित्तौड़गढ़ (राज)</p>	
23/2/24	<p>पतावली पेश हुई। पतावली में कोतिल्ला द्वारा गौरे के खेवंध में लवाब पेश किया गया कि मेरे द्वारा कोतिल्ला शूफ में रहने का आवासीय मकान बना रखा है जिस पर विद्युत कनेक्शन भी किया हुआ है उक्त आवास के लम्बे समय से परिवार निवास कर रहे है। निवास का कोतिल्ला एक मौलिक अधिकार है। काला शाह पंचायत हुकराई कोतिल्ला को शाह हुकराई की जाबाय शूफ में निवास मुकदमा हेतु पट्टा लारी कर तथा शाहसु पंचायत शाहसु के नियम 110 के तहत कोतिल्ला को केंद्रवाक कर की गई</p>	



540
1/3

343

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
	<p>कार्यवाही से न्यायालय को भवगत करावे ग्राहक पंचायत हुकराई को इस शेष में पत्र जारी करे पत्रावली फेसल सुधार हो दारिद्र्य कमतर गठर से कर हो)</p> <p style="text-align: right;">  बहुसचिवार मन् विवा-विप्रीकरण (राज) </p>

राहब
 हुकराई को इस शेष में
 पत्र जारी करे पत्रावली फेसल सुधार हो
 दारिद्र्य कमतर गठर से कर हो)